International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

भारतीय संदर्भ में नारी सशक्तिकरण व विश्लेषण

मेखा, सह–प्राध्यापिका

माता सुन्दरी खालसा गर्ल्ज कॉलेज, निसिंग (करनाल)

संक्षेपिका :– प्राचीन काल में ही स्त्री जाति अपने अस्तित्व, सम्मान, स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकारों के लिये प्रयासरत एवं संघर्षरत रही है। स्त्री सुधारों की घोषणाएं बहुत लम्बे समय से होती रही है। महिलाएं हमारी जनसंख्या की आधा शक्ति है, जिसके लिये आवश्यकता है कि महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को हर कानून की वकालत द्वारा दिलाने की कोशिश की जाये। जिससे कि वे स्वतंत्र व आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आ सकें। मनुकाल से पहले महिलाओं की शासन एवं समाज में भागीदारी थी तथा बौद्धिक समाज में उन्हें बेहद उच्च सम्मान हासिल था। अथर्ववेद में यह लिखा है कि वे उन्यन संस्कार की अधिकारी थी। 'श्रोत सूत्र' में लिखा है कि महिलाएं वेदों का उच्चारण कर सकती थी और इन्हें पढ़ने के लिये शिक्षा भी दी जाती थी। पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' में यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं गुरूकुल में शिक्षा–दीक्षा में भाग लेती थी। पतंजलि के 'महाभाष्य' में लिखा है कि उस समय महिलाएं शिक्षक थी और वे छात्राओं को वेदों की जानकारी भी देती थी। लेकिन मनुकाल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरु हो गई थी। समय के साथ–साथ उन पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। मध्यकाल तक स्त्रियों को पर्दा–प्रथा, बाल विवाह व सती प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों के साथ जीना पड़ा। उनका जीवन नरक के समान था। समाज में उनका सम्मान एवं प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो चुकी थी। आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिये कई आन्दोलन हुये। समाज सुधारकों के योगदान के द्वारा व सरकार के योग्य प्रतिनिधित्व द्वारा इस स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। वर्तमान स्थिति पूरी तरह सुचारु नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी प्रयासरत है।

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति :–

भारतीय लेखन में पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है, क्योंकि मूलरूप में भारतीय महिलाओं का वर्तमान स्वरूप पश्चिम से ही लिया गया है। ऐतिहासिकता एवं सांस्कृतिकता के आधारों पर जब नारी की समस्याओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण व मूल्यांकन किया जायेगा तो एक विशिष्ट सोच का निर्माण होगा। भारतीय नारी की परिस्थिति व छवि का निरूपण शास्त्रीय, धार्मिक व पौराणिक दिव्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। पौराणिक गाथाओं में प्रमुख शक्तियों की स्थापना की प्रक्रिया व प्रतिमान का परिचालक है। नारी का स्वरूप लक्ष्मी, सरस्वती एवं शक्ति (दुर्गा) के रूप में प्रस्तुत करके। इसे लोक के तीन प्रमुख सांसारिक आयामों को नारी की छवि, चेतना, देह आकार व मन मस्तिष्क से जोड़ा गया है। ये स्वरूप धन, ज्ञान व शक्ति के स्वरूप होकर शास्त्र सम्मत उपासना एवं विश्वास का आधार बनते है। विभिन्न पूजा, यज्ञ एवं अनुष्ठानों के माध्यम से नारी के दिव्य स्वरूपों एवं उनसे जुड़ी मान्यताओं को समाज वैद्यता प्रदान करता है। दूसरी ओर मिथक गाथाओं के द्वारा नारी को एक ओर तो मानवीय अवगुणों के व्यवहार व संवादों से परिलक्षित किया है। सम्पूर्ण इतिहास पुरुष राजाओं व यौद्वाओं के कारनामों से भरा है। योद्वा–रानियों की स्थिति ऐतिहासिक ग्रंथों में मात्र पाद टिप्पणियों के रूप में ही अंकित की गई है। नारी की ऐतिहासिक स्थापना में उसे कहीं–कहीं राज्य शौर्य से जोड़ा गया है, लेकिन कहीं उसे बलिदान की गाथाओं से, इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक रूप में नारी की परिस्थिति व योगदान दोनों का सम्पूर्ण चित्रण सम्भव नहीं हआ है। नारी की सृजनात्मक शक्ति व उसके द्वारा निर्मित कलाकृति, संगीत, नृत्य, साहित्य व बौद्धिक योगदान को इतिहास के निर्माण में उचित स्थान दिया गया है। ऐसी अनेकों पान्डुलिपियों है, जिसमें नारी की सृजन, कला व साहित्य की उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इतिहास लेखन का कार्य किस व्यवस्था में होता है व किस उद्देश्य से किया जाता है? यह आधार इतिहास की विषय वस्तु के चयन व उसके द्वारा निर्मित दिशाओं से निर्धारित होता है। भारतीय इतिहासकार ने आम व्यक्ति का उल्लेख कभी नहीं किया, पर साथ ही दलित वर्गों एवं नारी के द्वारा समाज के

संचालन, व्यवस्थापन, नियमन इत्यादि को गौण विषय माना है, जिसके वर्णन विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। किन्तु इसका अर्थ यहीं है कि आम जनता, दलित वर्गों व नारी का समाज व संस्कृति में कोई योगदान नहीं है। अनेकों पाण्डुलिपियों शिलालेख व ग्रन्थ भारतीय नारी के योगदान को दर्शाते हैं। विशिष्ट वर्ग व व्यक्ति के चारों ओर बुना हुआ इतिहास समाज का सही व सम्पूर्ण चित्रण नहीं करता है। शिक्षण की प्रक्रिया भी चयनित सामग्रियों के आधार पर अतीत के एक संस्थात्मक स्वरूप का निर्माण करती है। यह एक पक्षीय एवं लघु होता है। अतः इतिहास ज्ञान के विभिन्न आयामों के अन्तरालों को दर्शाता है। नारी स्थिति लोक, साहित्य, लोकवार्ता, लोकगीत, लोक समृति, लोक मिथक, लोक नाटय, लोक ज्ञान, लोकौक्ति व लोक धर्म के माध्यम से निर्मित होती है। लोक संस्कृति के द्वारा आम नारी की संदर्भगत एवं परिवृतित परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि यह भावों को सरलतम रूप में अभिव्यक्त करते हैं। नारी की परिस्थिति स्थान व समय के अनुरूप अलग–अलग रही है, जो कि लोकाचार, श्लोकगीतों के माध्यम से प्रदर्शित होती है, लोक संस्कृति समकालीन एवं पूर्ण समकालीन समय के संदर्भ में नारी की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। जो कि जीवन संस्कृति के अध्ययन से नारी के सृजनात्मक पक्ष को अधिक सशक्त रूप से समझा सकता है। लोक गीतों का निर्माण उन्हें सीखने एवं गान कार्य मूलतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। चित्रकला, भित्तिचित्र, माडने व अन्य सौंदर्य वैदिक महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। एक बड़े पैमाने पर नारी का ज्ञान व योगदान समाज एवं इतिहासकारों के लिये अदृश्य रहा है। यह अमान्यता व अदृश्यता, समाजिक व्यवस्था ज्ञान के सामाजिक स्वरूप व मान्यता के सरंचनात्मक स्वरूपों के आधार पर निर्मित हुये हैं। ऐतिहासिक या वैदिक अमान्यता यथार्त की सत्य को नकारता ही नहीं, बल्कि यह वैदिक स्तर पर एक चुनौती प्रस्तुत करता है। जिससे नाराज व इतिहास विचारने की आवश्यकता महसूस करें। नारी की परिस्थिति व उनके विभिन्न कार्यों में आये परिवर्तनों को समाजिक संस्थाओं, परम्पराओं, प्रथाओं के माध्यम से विवेचित किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में नारी परिस्थिति का वर्तमान समकालीन स्वरूप परिवार व्यवस्था, विवाह नियम, बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की

स्थिति, बांझपन, अविवाहित महिला, अनब्याही माँ, अन्तर्विवाहित नारी डायन की परिकल्पना इत्यादि विश्वासों की छवियों के आधार पर निर्धारित व निर्मित हुआ है। समाज व संस्कृति के द्वारा प्रदत्त नियमों व प्रथाओं ने नारी के शरीर, भावना, बुद्धि व आध्यात्मिक स्थिति व अक्षमताओं का निर्माण किया है। ये प्रथाएं विशिष्ट सामाजिक व राजनीतिक शक्तियों व बाध्यताओं से पनपनती व स्वीकृत होती है। स्थानीय स्तर पर उन्हें स्वीकार करने के लिये धार्मिक औचित्य व वैद्यता का सहारा लिया जाता है।

नारी सशक्तिकरण के लिये प्रयासरत पहलू :–

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः' प्राचीन धर्मग्रन्थों में ऐसी धारणा प्रस्तुत की गई थी, किसी भी राष्ट्र की परम्परा एवं संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति के उन्नत समृद्ध एवं मजबूत राष्ट्र का घौतक है। नारी स्थिति को उंचा उठाने के लिए दो उपचार महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा एवं सशक्तिकरण। शिक्षा के द्वारा आत्म निर्भरता, स्वायतता और अधिकार सम्पन्नता की भावना विकसित होती है। विकास एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भी शिक्षा की निर्णायत भूमिका होती है। इसी प्रकार सशक्तिकरण एक मानसिक स्थिति है। जो आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है। सशक्तिकरण के लिये विभिन्न पहलू निम्न प्रकार से हैं :–

राजनीतिक प्रयास :–

सशक्तिकरण के लिए निर्भिकता, आर्थिक, आत्मनिर्भरता निर्णय का अधिकार, सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों के बराबरी का हक और इन सबके योग्य बनाने के लिये उचित शिक्षा अनिवार्य शर्त है। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये है। जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 14–18 में की गई है। दसवीं पंच वर्षीय योजना 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति घोषित की गई, जिसमें महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रयास जारी है। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया । 1993 में

राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। जिससे स्वरोजगार हेतु प्रयासरत महिलाओं को ऋण दिया जाता है। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन नेरोबी (केन्या) में की गई।

सामाजिक एवं आर्थिक प्रयास :– नारी सुरक्षा एवं सशक्त हेतु सामाजिक आर्थिक नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बनाया एवं प्रारम्भ किया गया।

1. राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति–2001

2. देश की महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता निश्चित करना।

3. मानव अधिकारों के उपयोग में सक्षम बनाना।

4. बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति अपराधों के रूप में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना।

2. राष्ट्रीय महिला कोष :– केन्द्र सरकार द्वारा मार्च 1993 में स्थापित महिला कोष से कोई महिला जिसकी परिवार की वार्षिक आय 11000/– रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 11800/– रुपये प्रति वर्ष शहरी क्षेत्र में 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर अपनी आर्थिक गतिविधयां जारी रखने हेतु ऋण ले सकती है।

3. महिलाओं के लिये व्यवसायिक प्रशिक्षण :– देश में महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिये 450 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान है। इनमें उन्हें कृषि, डेरी, मछली–पालन, रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प आदि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

4. स्वास्थ्य सखी योजना :– 1997 में प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन योग्य महिलाओं के स्वास्थ्य एवं भोजन संबंधी आवश्यक जानकारी रखना। उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति जागरुक करना। सुरक्षित प्रसव हेतु जानकारी एवं सुविधायें उपलब्ध करवाना।

5. दवाकरा योजना इस योजना के तहत महिला समूह को 25000/– रुपये बैंक से त्रृण दिया जाता है।

6. **Will (Women Integrated Learning for Life)** इसमें महिलाओं को सामाजिक रूप से शैक्षिक व आर्थिक स्तर पर योग्य बनने के लिये प्रशिक्षण देना।

7. किशोरी शक्ति योजना :– **Girl to Girl Approach** योजना 11–15 वर्षीय तथा बालिका मण्डल योजना 15–18 वर्षीय किशोरियों हेतु बनाई गई है।

8. स्वःशक्ति योजना :– वर्ष 2001 में विश्व बैंक की सहायता से सात राज्य के 35 जिलों में यह योजना शुरु की गई। उसका उद्देश्य स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलम्बन प्रदान करना। महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

9. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना :– 15 अगस्त 2001 को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध करवाना।

10. जीवन भारतीय महिला सुरक्षा योजना :– 8 मार्च 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इस योजना का उद्देश्य 18–50 वर्ष की महिलाओं को बीमारी एवं इनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने पर सुरक्षा कवच प्रदान करना।

11. शैक्षिक प्रयास :– शिक्षा मानवीय जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। एक भी समाज की उन्नति के लिये शिक्षा सर्वोत्तम उत्कृष्ट मार्ग है। महिला साक्षरता अभी 53. 7 प्रतिशत है। 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 9 राज्यों के

63 जिलों की महिलाआं को लाभ पहुंचाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा शैक्षिक विकास से संबंधित है :–

क. निःशुल्क बालिका शिक्षा ख. शिक्षा कर्मी योजना ग. सरस्वती योजना घ. लोक जुम्बिश कार्यक्रम आदि।

भारतीय संविधान में 73 व 74वें संशोधन के माध्यम से मिला पंचायती राज की संस्थाओं में बढ़ती भागीदारी के साथ–साथ महिला नेतृत्व को भी अवसर प्राप्त हुआ जिसका असर 1995 के चुनावों में 3050 महिला सरपंचों में से 2000 निरक्षर थी, सन 2000 के चुनावों में 900 महिला सरपंच निरक्षर थी। सन 2005 के चुनावों के 720 महिला सरपंच ही निरक्षर बची। 500 से अधिक अंगूठा नहीं लगाती, बल्कि उन्होंने भी हस्ताक्षर करना सीखा।

कानूनी प्रयास :– समाज में महिलाओं को शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करवाने हेतु दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया। सती निषेध अधिनियम 1987, वेश्यावृति निवारण अधिनियम 1956, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, महिला को किसी भी रूप में परेशान करना। आई.पी.सी. 509, 509 (ग) व धारा 354 के अन्तर्गत कार्यवाही का निदान है। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू नाबलिग एवं संरक्षता अधिनियम 1956, बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम 1978, अश्लील चित्रण अधिनियम 1986 आदि।

सन्दर्भ सूची :–

1. सोमनाथ जी.जॉन, 'ऍम्पावरिंग द आप्रॅसेड' पृष्ठ संख्या 161, नई दिल्ली सेज 2001।

2. एलेन रॉबर्ट 'द न्यू पेगूंइन इंग्लिश डिकशनरी' पेंगूइन बुक्स, नई दिल्ली पृ. संख्या 4561।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

3. ए. माथुर एंड चौधरी, 'साथ–साथः सामाजिक लिंग सोच और विकास दृष्टिकोण' वाल्यूम–1, आस्था उदयपुर, पृष्ठ संख्या 46–47

4. चितरंजन ओझा 'नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण' रिगल पब्लिकेशन नई दिल्ली।

5. कविता शर्मा 'स्त्री सशक्तिकरण के आयाम' रजत पब्लिकेशन नई दिल्ली।

6. प्रेम नारायण शर्मा 'महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास' भारत बुक सैन्टर 17–ए, अशोक मार्ग, लखनऊ।

7. डॉ. प्रियंका माथुर 'महिला सशक्तिकरण' ज्योति प्रकाशन, जयपुर।